सिंहभूम का हो विद्रोह

अंग्रेज छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाए थे। उन्हें हो जनजाति के भयंकर विद्रोह का सामना करना पड़ा था। हो जनजाति की परंपरा के अनुसार सिंग बोंगा उनके परम पूजनीय देवाधिदेव हैं। संभवत: इसी परंपरा के नाम पर हो जनजातियों के निवास स्थान क्षेत्र का नामकरण सिंहभूम किया गया। सिंहभूम का अर्थ सिंह योद्धाओं की भूमि अथवा सिंहवंश के राज्य से भी लगाया जाता है। सिंहभूम पर मुसलमान तथा मराठा भी अपना अधिपत्य नहीं स्थापित कर सके थे। उन्हें हो जनजाति के प्रबल विद्रोह का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश सेना ने सन् 1821 ई. में कर्नल रिचर्ड्स के नेतृत्व में सिंहभूम की धरती पर प्रवेश किया। इसे हो जनजाति के लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। हो जनजाति तथा ब्रिटिश सेना के बीच विद्रोह काफी लंबी अवधि तक जारी रहा। अंतत: ब्रिटिश सेना ने मयूरभंज राज्य के बामनडीह सब डिविजन के अंतर्गत आने वाले पांच पीरों में से चार को अपने कब्जे में कर लिया। इन्हीं पीरों को अपने कब्जे में कर लेने के बाद अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम जिले की स्थापना की गई। इन चारों पीरों में हो जनजाति का वर्चस्व था। उन्हें लड़का हो के नाम से जाना जाता था। ये लोग बहादुर स्वभाव के थे। ये लोग सिंहभूम के राजा को भी समय-समय पर मदद करते रहते थे। आजकल चाईवासा सदर तथा सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर का क्षेत्र कोल्हन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां हो जनजाति का विशेष सांद्रण है। अंग्रेज लोग विशेष शर्त के साथ हो लोगों के साथ समझौता किए थे। लेकिन वे लोग हो जनज़ाति के लोगों को धोखा दिए। उन्हें जमींदारों को टैक्स देना पड़ा तथा अमानवीय व्यवहारों का सामना करना पड़ा। इनके ऊपर जमींदारों तथा महाजनों का शोषण चरम पर पहुंच गया। इनकी पारंपरिक भूमि को सिखों, मुसलमानों, दरबारियों तथा सुभेक्षकों को दे दिया गया। उनकी बहु एवं बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जाने लगी। अंग्रेज प्रशासकों ने उन्हें मदद नहीं की। जब इनकी जमीन और जनी पर अत्याचार हुआ तब सिंहभूम के सोए हुए शेर जाग उठे। अंग्रेजों, जमींदारों, महाजनों, दरबारियों तथा उनके सुभेक्षकों के विरोध में जमकर विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह में अत्याचारियों की हत्या की गई तथा उनके कब्जे वाले गांव को जला दिया गया था। इस विद्रोह को सैन्य बल द्वारा शांत कर दिया गया था। लेकिन विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित रही। इसी का परिणाम आगे चलकर महान कोल विद्रोह के रूप में आया।

महान कोल विद्रोह

अंग्रेज लोग समझौता करके कोल विद्रोहियों को अपने अधीन लाए थे। समझौता के अनुसार अंग्रेजों को हो जनजाति को सुरक्षा प्रदान करना था तथा उन्हें न्याय दिलवाना था। इस समझौते से हो के बीच यह आशा बनी थी कि उनकी सुरक्षा की जायेगी तथा उनके

Scanned with CamScanner

साथ अन्याय एवं अत्याचार नहीं होगा। लेकिन व्यवहार में ब्रिटिश शासकों द्वारा कई तरह के कर उन पर लाद दिए गए। इससे हो की पारंपरिक स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त हो गई। स्थानीय राजाओं एवं जमींदारों द्वारा कर वसूलने के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति की गई। ठेकेदार इनके साथ अमानवीय ढंग से पेश आते थे। वे इनकी महिलाओं को अपनी हवश का शिकार बनाते थे। हो पुरुषों से बेगारी ली जाती थी तथा मजदूरी नहीं दी जाती थी। शोषण एवं अत्याचार से आजीज होकर सिंहभूम के शेर जागृत हुए तथा संगठित हुए। विद्रोह के लिए शस्त्र उठाए गए तथा अत्याचारियों को सबक सिखाने की कसम के साथ विद्रोह का बिगुल फूंका गया। यों तो 1820 के बाद का विद्रोह ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गया था, लेकिन 1789 से 1832 ई. के बीच इस क्षेत्र में सात प्रमुख विद्रोह हुए थे।

1831 ई. के अंत में कोल विद्रोह महान कोल विद्रोह में बदल गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंगराय-बिंदराय मानकी तथा वीर बुधू भगत कर रहे थे। इस महान विद्रोह का प्रभाव राँची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में व्याप्त था। छोटा नागपुर महाराज जगन्नाथ शाहदेव अपने देश में सिखों, मुसलमानों, दरबारियों तथा सेवकों को जमीन देकर बसा दिए थे। सिख तथा मुसलमान नागवंशी राजा के पास घोड़ा व्यापारी बनकर आए थे। उनकी सेवा से खुश होकर नागवंशी राजा द्वारा जनजातीय गांव की भूमि को उन्हें इनाम के रूप में दे दी गई थी। जनजातीय ग्रामों की अच्छी गुणवत्ता वाली जमीन के मालिक बन जाने के बाद सिख तथा मुसलमान जनजातियों को तरह-तरह से शोषित एवं उत्पीड़ित करने लगे। जनजातियों को इनके यहां बेगार के रूप में बिना मजदूरी का काम करना पड़ता था। सिख एवं मुसलमान पुरुष आदिवासी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते थे। जब मुसलमान तथा सिखों का शोषण, उत्पीड़न एवं अत्याचार चरम पर पहुंच गया तब जनजातियों के सामने अस्त्र उठाने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था।

राँची जिला के सोनेपुर परगना के अंतर्गत इचाहातु के सिंहराय मानकी के बारह गांवों को दिकुओं को दे दिया गया था। दिकुओं द्वारा उनकी दो नौजवान बहनों की इज्जत भी लूट ली गई थी। सिंहभूम के बंद गांव में भी उसी प्रकार की घटना घटित हुई थी जिसमें एक मुंडा की जमीन के साथ-साथ उसकी पत्नी को भी लूट लिया गया था। ऐसी घटनाओं की खबर से दुखित होकर सोनेपुर, तमाड़ तथा बंद गांव के कोल लोग तमाड़ के लंका गांव में एकत्रित हुए। इस सभा में खुले मंच से यह घोषणा की गई कि अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों तथा ठेकेदारों से अब हमारी जमीन और जनी सुरक्षित नहीं रहीं। अब उन्हें जीने का कोई मूल्य नहीं रह गया है। इस तरह जीने से अच्छा है लड़ते-लड़ते मर जाना। इस कोल सभा में अत्याचारियों को सबक सिखाने का संकल्प लिया गया। इस प्रकार पारंपरिक भूमि पर जमींदारों, महाजनों, साहूकारों, ठेकेदारों द्वारा कब्जा, ग्राम पदाधिकारी मुंडा-मानकी के साथ दुर्व्यवहार तथा महिलाओं के साथ कुकर्म के कारण महान कोल विद्रोह का जन्म हुआ।

Scanned with CamScanner

इस विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिक कार्यवाही की गई। रामगढ़ बटेलियन को सहायता देने के लिए बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर से सेनाएं भेजी गई। कैप्टेन विल्किंसन जनवरी के मध्य में पिठोरिया-रांची आए। उन्होंने सेना को आदेश दिए कि आक्रमण करो, कत्ल करो, नेस्तनाबूद करो। उनके आदेश का पालन सेनाओं ने किया। सैकड़ों विद्रोही मौत के घाट उतार दिए गए। 19 मार्च, 1832 को सिंहराय मानकी के भाई विंदराय मानकी तथा सुरगा मुंडा को पकड़ कर जेल भेज दिया गया। अन्य विद्रोही सरदारों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस विद्रोह से अंग्रेज लोग भी जनजातीय शक्ति को समझे तथा अनेक प्रशासनिक सुधार छोटा नागपुर क्षेत्र में लाये गये।

कोल विद्रोह के बाद 1833 में बंगाल विनियमन XIII का निर्माण किया गया। इस कानून के माध्यम से संपूर्ण छोटा नागपुर को सामान्य न्यायालय की सीमा से स्वतंत्र कर दिया गया था। इसे आम प्रशासन क्षेत्र से अलग कर दिया गया। इसे गवर्नर जनरल के एजेंट के अधीन लाया गया कैप्टेन टी. विल्किंसन इस क्षेत्र के गवर्नर जनरल के एजेंट बने। सन् 1837 में इस क्षेत्र के लिए एक नियमावली का निर्माण विल्किंसन द्वारा किया गया था। इसे विल्किंसन नियमावली के नाम से जाना जाता है। इस नियमावली के अनुसार मुंडा-मानकियों के पारंपरिक अधिकार लौटा दिए गए। इन परंपरागत पदाधिकारियों को नागरिक एवं अपराधिक न्यायकरण से जोड़ने का प्रयास किया गया। डाक और दारु का कर उठा लिया गया। कोलहन राज्य का निर्माण किया गया। जमींदारों को जमींदारी पुलिस रखना पड़ा तथा पुलिस का खर्च वहन करना पड़ा। इसके लिए उन्हें अपने रैयत से कर लेने की छूट दी गई। स्थानीय परंपरागत अधिकारियों को संचार व्यवस्था, हाट व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने जैसे डायन प्रथा, जादू-टोना, भूत-प्रेत इत्यादि से जोड़ने का प्रयास किया गया। जमीन की खरीद-विक्री एवं पट्टा पर रोक लगाई गई। इसके लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य था। यह व्यवस्था विल्किंसन के बाद भी जारी रही। आरंभ में इस व्यवस्था से कुछ लाभ अवश्य दिखाई दिया। लेकिन इस व्यवस्था के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य छोटा नागपुर में अपना एकाधिपत्य स्थापित करना था। इसमें वे सफल हो गए। साथ ही साथ जनजातियों एवं जातियों के बीच खाई उत्पन्न कर वे लोग फूट डालो, राज करो की अपनी नीति लागू करने में सफल हुए।

Scanned with CamScanner